DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
MINISTRY OF FINANCE
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते



आपकी पूँजी, आपका अधिकार

Your Money, Your Right



अब अपने अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्ति को सरल तरीके से प्राप्त करें.

वित्तीय जागरूकता पहल

परिचय

हम विभिन्न माध्यमों जैसे कि बैंक, बीमा पॉलिसियों, शेयरों/म्यूचुअल फंड/अन्य वित्तीय साधनों में पैसा जमा कर अपने परिवार को सुरक्षित करके धन अर्जित करते हैं। कभी- कभी यह जमा पैसा मैच्यूरिटी के समय लाभार्थियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को बैंक खाता, पॉलिसी बंद हो जाने के कारण नहीं मिल पाती हैं, हालाँकि वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा पैसा भुगतान हेतु हर संभव प्रयास के बावजूद भी कुछ मामलों में यह संभव नहीं हो पाता है।

ये जमा पैसा जमाकर्ता एवं उत्तराधिकारियों की वैध सम्पत्ति है जो कि आपातकालीन चिकित्सा, शैक्षिक व्यय या व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य पूर्ति में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है।

यह पुस्तिका विभिन्न वित्तीय संस्थानों से दावा न की गई जमा पैसा के निपटान की प्रक्रिया को आसान एवं सुविधाजनक बनाने के लिये शिकायत निवारण तंत्र सहित स्थापित माध्यमों को बताने के लिये बनाई गई है।

कुछ समय निकाल कर देखें कि क्या कोई दावा न किया गया जमा पैसा बाँकी है । यह प्रक्रिया आसान है, और यह आपके या आपके परिवार के वित्तीय भविष्य में बड़ा बद्लाव ला सकती है।

चूँके नहीं, जो पैसा आपका है उसे पाने के लिये अभी दावा करें तथा भूले हुए पैसे को नये वित्तीय अवसर में बदलें।

आपका पैसा आपका है - इसे पाने के लिये हर प्रयास करें जिससे कि यह पैसा आपके पास वापस आ जाये।

आपकी पूँजी, आपका अधिकार

विषय सामग्री

1	**निधि** जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (DEA Fund)	**नियामक** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)	
	अ. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न		05
	ब. मानक कार्यप्रणाली		08
2	**निधि** म्यूचुअल फंड	**नियामक** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)	
	अ. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न		11
	ब. मानक कार्यप्रणाली		14
3	**निधि** निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF)	**नियामक** निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA)	
	अ. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न		16
	ब. मानक कार्यप्रणाली		19
4	**निधि** वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष - बीमा (SCWF)	**नियामक** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)	
	अ. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न		21
	ब. मानक कार्यप्रणाली		27
5	**निधि** अभिदाताओं का पेंशन अंशदान संरक्षण खाता (SPCPA)	**नियामक** पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)	
	अ. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न		29
	ब. मानक कार्यप्रणाली		32
6	**सारांश पत्रक** वित्तीय परिसंपत्तियों का दावा		37

"किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण को ही अंतिम और प्रामाणिक माना जाएगा।"

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि क्या है और यह योजना कब से प्रभावी है?

"जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) योजना, 2014" भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों और इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई थी। इस धारा के प्रावधानों के तहत, आरबीआई ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) की स्थापना की है। यह योजना 24 मई 2014 अर्थात भारत के आधिकारिक राजपत्र में योजना की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी है।

प्रश्न 2. डीईए निधि में कौन सी राशि जमा की जाती है?

डीईए निधि में जमा की गई राशि बैंकों (वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों) के साथ रखे गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष है, जिसे जमाकर्ता द्वारा 10 साल अथवा उससे अधिक समय से संचालित नहीं किया गया है, अथवा 10 वर्षों से अथवा उससे अधिक दावा न की गई कोई शेष राशि है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(ए) बचत बैंक जमा खातें;

(बी) सावधि अथवा मीयादी जमा खातें;

(सी) संचयी/आवर्ती जमा खातें;

(डी) चालू जमा खातें;

(ई) किसी भी रूप अथवा नाम में अन्य जमा खाते;

(एफ) नकदी ऋण खातें;

(जी) बैंकों द्वारा उचित विनियोजन उपरांत ऋण खाते;

(एच) साख पत्र/गारंटी आदि जारी करने अथवा किसी प्रतिभूति जमाराशि के बदले मार्जिन राशि;

(आई) बकाया टेलीग्राफिक अंतरण, मेल ट्रांसफर, मॉग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर्स चेक, विविध जमाराशियां खाते, उनका खाते, अंतर-बैंक समाशोधन समायोजन, असमायोजित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) क्रेडिट शेष और ऐसे अन्य अस्थायी खाते, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) लेनदेन, आदि के कारण असंगत क्रेडिट शेष;

(जे) बैंकों द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रीपेड कार्ड में शेष बची शेष राशि, परंतु यात्री चेक अथवा अन्य समान लिखतों के खिलाफ बकाया राशि नहीं, जिनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं है;

(के) मौजूदा विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा को रुपये में बदलने के उपरांत बैंकों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा जमा से रुपये में लाभ; और

(एल) ऐसी अन्य राशियाँ जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती हैं

प्रश्न 3. उपरोक्त निर्दिष्ट राशियाँ डीईए निधि में कब जमा की जाती हैं?

बैंकों को उपरोक्त प्रश्न संख्या 2 में निर्दिष्ट खातों में क्रेडिट शेष को लगातार निष्क्रिय अथवा दावा न की गई की स्थिति में 10 वर्ष पूरे होने के उपरांत

महीने के अंतिम कार्य दिवस पर डीईए निधि में स्थानांतरित करना आवश्यक है।

उदाहरण के लिए, अप्रैल के महीने में डीईए निधि में स्थानांतरित होने वाली जमा राशि (अर्थात्, 10 वर्षों के लिए दावा न की गई) को मई के महीने में अंतिम कार्य दिवस पर डीईए निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

प्रश्न 4. क्या प्रश्न संख्या: 2 में वर्णित ऐसी राशियों पर अर्जित ब्याज भी डीईए निधि में स्थानांतरित किया जाता है?

हाँ। बैंकों को डीईए निधि में स्थानांतरण की तिथि पर अर्जित ब्याज सहित संपूर्ण राशि हस्तांतरित करना आवश्यक है।

प्रश्न 5. क्या ग्राहक/जमाकर्ता डीईए निधि से अपनी दावा न की गई राशि की वापसी का दावा कर सकते हैं?

हॉ, अपने बैंकों से ग्राहक/जमाकर्ता अपनी अदावी राशि की वापसी का दावा कर सकते हैं। ग्राहक/जमाकर्ता अथवा उत्तराधिकारी(मृत जमाकर्ताओं के मामले में) द्वारा किए गए दावे के अनुरोध के आधार पर, बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज (केवल ब्याज वाले जमा खातों के मामले में लागू) के साथ भुगतान करेंगे और फिर ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान की गई समतुल्य राशि के लिए आरबीआई द्वारा बनाए गए डीईए निधि से धन वापसी के लिए दावा दर्ज करेंगे।

प्रश्न 6. क्या डीईए निधि से राशि का दावा करने के लिए ग्राहक/जमाकर्ता को कोई समय सीमा है?

ग्राहक/जमाकर्ता द्वारा डीईए निधि से धन वापसी का दावा करने के लिए योजना में कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि, ग्राहक/जमाकर्ता अथवा उत्तराधिकारियों (मृत जमाकर्ता के मामले में) को दावा न की गई राशि के बारे में पता चलते ही ऐसी राशि का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रश्न 7. यदि कोई बैंक परिसमापन के अधीन है, तो डीईए निधि से दावा करने की प्रक्रिया क्या है?

परिसमापन के तहत बैंक के मामले में, जमाकर्ता को दावे के लिए बैंक के परिसमापक से संपर्क करना होगा ।

प्रश्न 8. क्या अदावी जमा राशि के लिए कोई खोज सुविधा है?

हाँ, अदावी जमाराशियों की जानकारी {केवल नाम, पता (पिन कोड के बिना)}, जो आरबीआई के डीईए निधि में अंतरित की गई है, का विवरण संबंधित बैंकों की वेबसाइटों पर खोजा जा सकता है।

प्रश्न 9. उद्गम (UDGAM) पोर्टल क्या है?

उद्गम (UDGAM) का तात्पर्य अदावी जमा-सूचना तक पहुंचने का प्रवेश द्वार (Unclaimed Deposits-Gateway to Access information) है, जो आरबीआई द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत तरीके से एक ही स्थान पर कई बैंकों में अदावी जमा/खातों की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है।

प्रश्न 10.क्या सभी बैंक उद्गम (UDGAM) पोर्टल का हिस्सा हैं? वे अदावी जमाराशियों के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं?

नहीं, 30 बैंक उद्गम (UDGAM) पोर्टल का हिस्सा हैं, और वे आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में लगभग 90% अदावी

जमा (मूल्य के संदर्भ में) को कवर करते हैं। इन बैंकों की सूची UDGAM के होम पेज (https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login) पर उपलब्ध है।

प्रश्न 11.क्या उपयोगकर्ता उद्गम (UDGAM) पोर्टल के माध्यम से अथवा आरबीआई से अपनी अदावी जमा राशि का निपटान/दावा कर सकता है?

नहीं, UDGAM पोर्टल केवल (क) एक ही स्थान पर कई बैंकों में अदावी जमा राशि/खातों की खोज की सुविधा प्रदान करता है और (ख) प्रत्येक बैंक के दावे/निपटान प्रक्रिया पर जानकारी प्रदान करता है (जो खोज परिणाम में उपलब्ध होगी)। अदावी जमा राशि का दावा केवल संबंधित बैंक से ही किया जा सकता है।

प्रश्न 12.क्या एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है?

हाँ, रिज़र्व बैंक द्वारा एक शिकायत निवारण तंत्र लागू किया गया है, जिसे रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 कहा जाता है। अपनी शिकायत के निवारण के लिए शिकायतकर्ता को सबसे पहले संबंधित बैंक से संपर्क करना होगा। यदि शिकायत दर्ज होने के उपरांत 30 दिन की अवधि के भीतर बैंक जवाब नहीं देती है या शिकायत को पूर्णत:/आंशिक रूप से अस्वीकार करती है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब/समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता योजना के तहत अपनी शिकायत https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng पर दर्ज कर सकता है।

मानक कार्यप्रणाली (एसओपी)

- अपना अदावी जमा राशि के लिए दावा दर्ज करने के इच्छुक ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा (गैर-घरेलू शाखाओं सहित) में जाकर आवश्यक केवाईसी/ओवीडी दस्तावेजों के साथ दावा अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेजों का सफलतापूर्वक सत्यापन होने पर, बैंक द्वारा ग्राहक/जमकर्ता को ब्याज सहित राशि वापस का दी जाएगी।
- भारतीय बैंक संघ द्वारा दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए एक सामान्य आवेदन पत्र (अनुलग्नक-1) लागू किया गया है । सामान्य आवेदन पत्र में निर्धारित केवाईसी दस्तावेजों/ ओवीडी की सूची नीचे दी गई है:
 - ओवीडी: पहचान का प्रमाण: पासपोर्ट/ मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/ (आधार) का प्रमाण/नरेगा जॉब कार्ड/राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से जारी पत्र (इनमें से कोई एक दस्तावेज)
 - पते का प्रमाण: ऊपर बताए गए समान ओवीडी अथवा पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए मान्य ओवीडी।
- ग्राहक बैंकों के अदावी जमा पोर्टल (यदि उपलब्ध हो) के माध्यम से भी अपना दावा ऑनलाइन दर्ज करा सकता है।

अनुलग्नक-1

अदावी जमा राशियाँ : सामान्य दावा आवेदन पत्र (स्वयं)

शाखा प्रबंधक बैंक : शाखा	यूडीआरएन नंबर (यदि उपलब्ध हो):	
	पता:	
		पिन:
	मोबाइल नंबर	ईमेल:
	दिनांक :	

महोदय/महोदया,

मैं अपने खाते को सक्रिय करने/खाते से शेष राशि के भुगतान के लिए निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ।

- ग्राहक का (ग्राहकों के) नाम:
- खाते का प्रकार: बचत बैंक/चालू खाता/सावधि जमा/अन्य
- खाता संख्या.:

2. मैं/हम के कारण अपना खाता संचालित नहीं कर पाए।

3. मैं/हम अपने केवाईसी दस्तावेज़ (बैंक सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज़ और बैंक रिकॉर्ड के लिए उनकी एक प्रति) नीचे दिए अनुसार संलग्न कर रहा/रहे हैं, साथ ही मेरा/हमारा हाल का फोटो भी भेज रहा/रहे हैं और अपने खाते में जमा राशि प्राप्त करने की अनुरोध करता/करते हूँ/हैं।

क्रम संख्या	**खाताधारक** (खाताधारकों के) **नाम (s)**	**विवरण के साथ केवाईसी दस्तावेज (ओवीडी*)**
1.		
2.		

***OVDs: पहचान का प्रमाण**: पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/(आधार) का प्रमाण/नरेगा जॉब कार्ड/राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) जारी किया गया पत्र (इन दस्तावेजों में से कोई एक)

पते का प्रमाण: ऊपर बताए गए समान ओवीडी अथवा पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए मान्य ओवीडी।

घोषणा:

- मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर बताए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित विवरण के अनुसार दावा न किया गया खाता मेरे/हमारा है और खाते के मालिक के रूप में मैं/हम राशि का दावा करते हैं।
- मैं/हम यह भी समझते हैं कि मुझे/हमें अंतिम निपटान तक अपने दावे को स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने और जमा करने की आवश्यकता होगी और दावे को निपटाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए भी सहमत होंगे।
- मैं/हम समझते हैं कि दावे का निपटान दस्तावेजों के समुचित सावधानी और प्रमाणीकरण के बाद और बैंक की प्रक्रिया और नीति के अधीन किया जाएगा।

दावेदार का (दावेदारों के) नाम	हस्ताक्षर

(दावा करने वाले व्यक्ति (या व्यक्तियों) के अशिक्षित होने की स्थिति में बैंक को दो ऐसे गवाहों की आवश्यकता होती है जो बैंक को स्वीकार्य हों।)

गवाह का नाम और पता	हस्ताक्षर

ग्राहक पावती पर्ची (बैंक अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

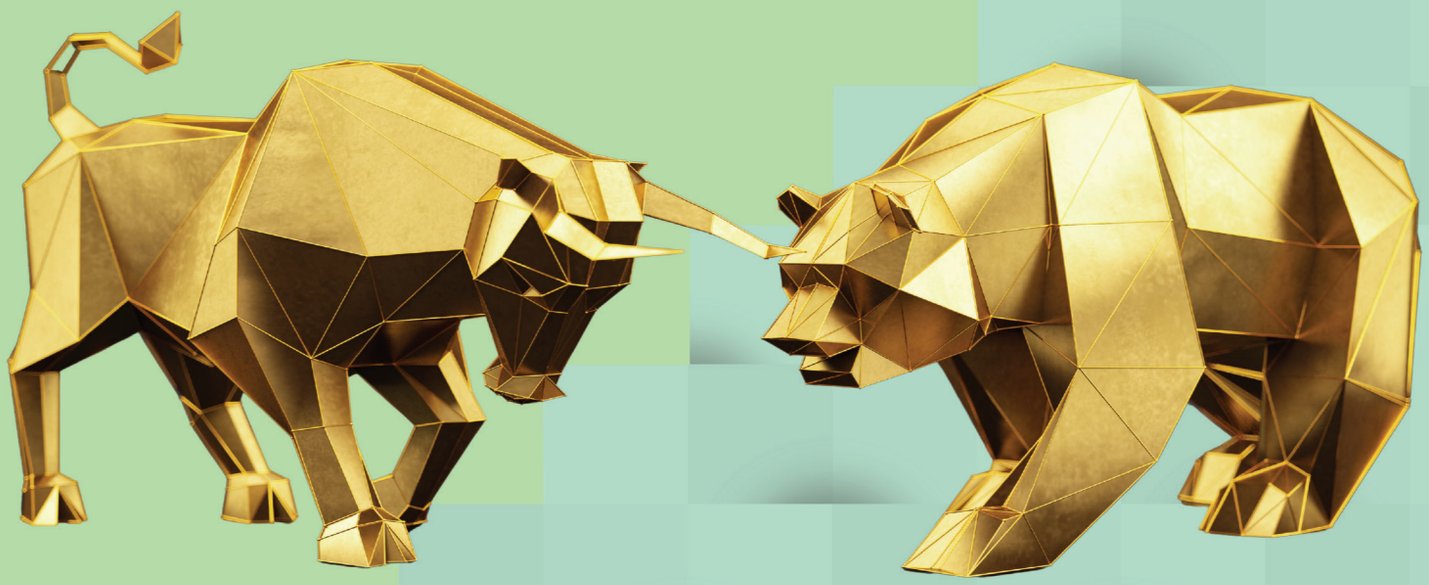
..... से अदावी जमा राशि/(खाता संख्या.....) में शेष राशि का दावा करने के लिए एक अनुरोधप्राप्त हुआ है।

बैंक: बैंक मुहर के साथ बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

शाखा: दिनांक:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

म्यूचुअल फंड



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. 'दावा न की गई रकम' का क्या मतलब है?

निवेशकों द्वारा यूनिटों की बिक्री करने या स्कीम की अवधि पूरी होने या फिर लाभांश की रकम मिलने पर, म्यूचुअल फंडों द्वारा निवेशकों को भुगतान किया जाता है । भुगतान करने के लिए, म्यूचुअल फंड या तो निवेशकों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे जमा कर देते हैं या फिर उनके रिकॉर्ड में निवेशकों को जो पता होता है, उस पते पर चेक भेज देते हैं ।

जब कभी म्यूचुअल फंडों द्वारा किया गया भुगतान निवेशक के बैंक खाते में जमा नहीं हो पाता या निवेशक उस चेक को भुना नहीं पाते, तो ऐसी रकम को 'दावा न की गई रकम' मान लिया जाता है । भुगतान निवेशकों के खातों में जमा न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि निवेशक का बैंक खाता बदल गया हो, बैंक खाता बंद हो गया हो, रिकॉर्ड में बैंक खाते संबंधी विवरण अधूरे हों, निवेशक को चेक प्राप्त न हुआ हो या निवेशक द्वारा चेक को भुनाया न गया हो, निवेशकों द्वारा पते को अपडेट न कराया गया हो, आदि ।

यदि निवेशक ने केवाईसी न करवाई हो, तो उसे भुगतान नहीं हो पाता । इसलिए, ऐसी रकम भुगतान की तारीख को सीधे अनक्लेम्ड स्कीम में जमा कर दी जाती है ।

प्रश्न 2. निवेशकों को कैसे पता चलेगा कि उनका पैसा म्यूचुअल फंडों के पास 'दावा न की गई रकम' के रूप में पड़ा हुआ है?

निवेशकों की सुविधा के लिए 'दावा न की गई रकम' की जानकारी आस्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) और रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) की वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाई जाती है ।

'दावा न की गई रकम' के बारे में जानने के लिए निवेशक एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट (www.mfcentral.com) पर भी लॉग-इन कर सकते हैं । 'दावा न की गई रकम' के बारे में पता लगाने के लिए निवेशक को अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और ओटीपी डालकर लॉग-इन करना होगा ।

भुगतान न की गई रकम/'दावा न की गई रकम' की जानकारी निवेशक को समेकित खाता विवरण (सी.ए.एस.) में दी जाती है ।

म्यूचुअल फंड समय-समय पर ईमेल आदि भेजकर या सूचना जारी करके निवेशकों को 'दावा न की गई रकम' की जानकारी देते रहते हैं ।

प्रश्न 3. "म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट" (मित्र) क्या है और 'दावा न की गई रकम' का पता लगाने में यह कैसे मदद कर सकता है?

मित्र निवेशकों हेतु बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से म्यूचुअल फंडों के ऐसे फोलियो के बारे में पता लगाया जा सकता है, जिनमें कोई लेनदेन नहीं किया जा रहा अर्थात् जो सक्रिय नहीं है । इसके अलावा, इसकी मदद से म्यूचुअल फंड में किए गए ऐसे निवेशों का भी पता लगाया जा सकता है जिनके संबंध में कोई दावा न किया गया हो । फोलियो सक्रिय न होने का अर्थ है कि उस फोलियो में निवेशक ने पिछले 10 वर्षों में किसी भी तरह का कोई लेनदेन नहीं किया है, पर उस फोलियो में यूनिटें पड़ी हुई हैं ।

मित्र प्लेटफॉर्म पर जाने का लिंक एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट (www.mfcentral.com) के मुखपृष्ठ पर

दिया हुआ है । इस प्लेटफॉर्म पर जाकर निवेशक अपनी 'दावा न की गई रकम' के बारे में जान सकते हैं या ऐसे निवेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो अब सक्रिय नहीं हैं । इसके लिए, उन्हें अपेक्षानुसार कुछ ब्यौरे भरने होते हैं । यदि निवेशकों द्वारा भरे गए ब्यौरे मेल खाते हैं, तो उन्हें उन म्यूचुअल फंडों के नाम दिख जाएंगे जहाँ उनके ऐसे निवेश पड़े हुए हैं। इसके बाद, निवेशक संबंधित म्यूचुअल फंड या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं और अपनी 'दावा न की गई रकम' के संबंध में दावा कर सकते हैं । दावा करने की प्रकिया और उससे संबंधित एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) मित्र प्लेटफॉर्म पर दिए हुए हैं ।

प्रश्न 4. 'दावा न की गई रकम' के संबंध में दावा करने के लिए निवेशक को क्या करना होगा?

निवेशक को एएमसी की वेबसाइट से संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे भरकर उस पर हस्ताक्षर करने के बाद एएमसी/आरटीए के कार्यालय में जमा करना होगा । फॉर्म में भरी गई जानकारी को रिकॉर्ड से मिलाने के बाद और हस्ताक्षर का मिलान करने के बाद, यूडीआरएस से 'दावा न की गई रकम' का भुगतान किया जाएगा, और साथ ही एन.ए.वी. में हुई मूल्यवृद्धि भी दी जाएगी ।

निवेशक दावे की प्रक्रिया से जुड़े सवालों के लिए आरटीए (जो उस एएमसी का आरटीए हो, जिसके यहाँ निवेशक की 'दावा न की गई रकम' पड़ी हो) से संपर्क कर सकते हैं । दोनों आरटीए के संपर्क संबंधी ब्यौरे उनकी वेबसाइट पर "Contact Us" शीर्षक के तहत दिए हुए हैं।

केफिन: https://www.kfintech.com/contact-us/

कैम्स: https://www.camsonline.com/contactus

प्रश्न 5. 'दावा न की गई रकम' न मिलने पर निवेशक अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते हैं ?

यदि 7 कार्य-दिवसों के भीतर निवेशक को पैसा नहीं मिलता है या फिर उनके दावे को नामंजूर किए जाने की वजह भी उन्हें नहीं बताई जाती है, तो ऐसे में निवेशक संबंधित एएमसी/आरटीए के कार्यालय में जाकर या एएमसी के निवेशक सेवा केंद्र में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है । शिकायत दर्ज करने के लिए एएमसी के निवेशक सेवा केंद्र और उसकी ईमेल आईडी से संबंधित ब्यौरे एएमसी की वेबसाइट पर "Contact Us" खंड के अंतर्गत दिए होते हैं। यदि एएमसी/आरटीए निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत का निवारण नहीं करता या फिर निवेशक उनकी ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।

प्रश्न 6. जब तक निवेशक 'दावा न की गई रकम' पर दावा नहीं करता तब तक म्यूचुअल फंड उस रकम को कहाँ-कहाँ निवेश करते हैं ?

म्यूचुअल फंड को यह इजाज़त दी गई है कि वे 'दावा न की गई रकम' को कॉल मनी मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या फिर ओवरनाइट स्की/लिक्विड स्कीम/मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं । इस तरह की स्कीमों में बहुत कम जोखिम होता है और रिटर्न भी मिलता रहता है । म्यूचुअल फंडों द्वारा 'दावा न की गई रकम' का निवेश करने के लिए विशेष रूप से स्कीम लाई जाती है जिसे अनक्लेम्ड डिविडेंड/रिडेंप्शन स्कीम (यूडीआरएस) के नाम से जाना जाता है ।

प्रश्न 7. 'दावा न की गई रकम' के संबंध में हुई मूल्यवृद्धि का फायदा निवेशकों को किस तरह दिया जाता है?

चूँकि 'दावा न की गई रकम' को लिक्विड या ओवरनाइट स्कीमों में लगाया जाता है, इसलिए एएमसी इन स्कीमों में हुई मूल्यवृद्धि को रोजाना एन.ए.वी. के रूप में दर्शाती है। इन स्कीमों में यूनिटें जारी होने की तारीख से 3 वर्षों के भीतर हुई मूल्यवृद्धि निवेशकों को दे दी जाती है और 3 वर्षों के बाद हुई मूल्यवृद्धि निवेशक शिक्षण निधि में जमा कर दी जाती है ।

प्रश्न 8. यूडीआरएस में आबंटन कितनी बार किया जाता है ?

यह आबंटन हर सप्ताह या 15 दिनों में एक बार किया जाता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि अनपेड इंस्ट्रूमेंट के संबंध में बैंकों द्वारा जानकारी कब दी जाती है ।

प्रश्न 9. निवेशक ऐसा क्या करें कि उनका पैसा कभी भी 'दावा न की गई रकम' की श्रेणी में न जाए ?

निवेशकों ने जिस आरटीए/एएमसी के यहाँ निवेश किया है वहाँ अपना पैन/केवाईसी, पता, बैंक खाते आदि से संबंधित ब्यौरे हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए । यूनिटों की बिक्री करने के लिए आवेदन करने के बाद, उन्हें इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि पैसे उनके बैंक खाते में जमा हो गए हों। यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा किया गया पैसा [जहाँ बैंक की पूरी जानकारी (जैसे सीबीएस अकाउंट संख्या और आईएफएस कोड) दी गई हो] 3 कार्य-दिवसों के भीतर प्राप्त नहीं होता है या फिर चेक के माध्यम से जमा किया गया पैसा 5 से 7 कार्य-दिवसों के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो निवेशकों को आरटीए/एएमसी या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के निकटतम कार्यालय से संपर्क करना चाहिए ।

मानक कार्यप्रणाली (एसओपी)

दावा करने की प्रक्रिया

1. 'दावा न की गई रकम' के संबंध में दावा करने के लिए निवेशक संबंधित आस्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) या रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) से संपर्क कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट से संबंधित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं । यह फॉर्म संबंधित आरटीए या एएमसी के कार्यालय में जमा करना होता है । आरटीए निवेशक के हस्ताक्षर और अन्य ब्यौरों की जाँच करेगा और सब कुछ सही पाए जाने पर आवेदन पर कार्यवाही करेगा । यदि फॉर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है या फिर हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं, तो आरटीए निवेशक को इस बात की जानकारी देगा कि उनके फॉर्म के संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की गई है और साथ ही, यह भी बताएगा कि निवेशक को इस संबंध में अब क्या करना होगा ।

2. अनक्लेम्ड स्कीम से संबंधित भुगतान को रिडेंप्शन माना जाता है, इसलिए इस संबंध में एन.ए.वी., फॉर्म प्राप्त होने की तारीख और समय के अनुसार होगी और भुगतान 2 से 5 दिनों के भीतर किया जाएगा ।

3. रिडेंप्शन करने पर भुगतान - भुगतान की रकम की गणना इस प्रकार की जाएगी

 क. पहली स्थिति - 3 वर्षों के भीतर किए जाने वाले भुगतान के मामले में: रिडेंप्शन की रकम यूडीआरएस से दी जाएगी । यह रकम अनक्लेम्ड स्कीम की लागू एन.ए.वी. के अनुसार दी जाएगी, जिसमें स्कीम की एन.ए.वी. में हुई मूल्यवृद्धि भी शामिल है ।

 ख. दूसरी स्थिति - 3 वर्षों के बाद किए जाने वाले भुगतान के मामले में: अनक्लेम्ड स्कीम की यूनिटों की एन.ए.वी. में हुई मूल्यवृद्धि निवेशक शिक्षण निधि में जमा कर दी जाएगी और अनक्लेम्ड स्कीम में जिस तारीख को यूनिटें जारी की गई हों उस तारीख से 3 वर्षों की अवधि के बाद की एन.ए.वी. के अनुसार यूनिटों को रीडीम किया जाएगा ।

 ग. तीसरी स्थिति - निवेशक द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में लेनदेन करने या फोलियो अपडेट करने के मामले में: यदि कोई ऐसी जानकारी मिली हो, जिसके आधार पर 'दावा न की गई रकम' के संबंध में कार्यवाही की जा सकती हो, तो ऐसे में अनक्लेम्ड स्कीमों में से स्वत: ही रिडेंप्शन कर दिया जाएगा और रिडेंप्शन से मिली रकम निवेशक के खाते में जमा कर दी जाएगी ।

Investor Education Protection Fund Authority (IEPFA)

शिक्षा और संरक्षण



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. क्या IEPFA बिना दावा किए गए शेयर या डिविडेंड खोजने में मदद कर सकता है?

IEPFA अपनी वेबसाइट पर पैन (PAN), नाम या कंपनी के नाम डालकर बिना दावा किए गए शेयर, डिविडेंड या जमा राशियों को खोजने की सुविधा प्रदान करता है।

आप IEPFA पोर्टल (www.iepfa.gov.in) पर जाकर "IEPF Search Facility" सेक्शन में लॉगिन/रजिस्ट्रेशन करके खोज सकते हैं।

खोज के तरीके:

- **पैन द्वारा**
- **बुनियादी जानकारी द्वारा** (नाम, जन्मतिथि आदि)
- **कंपनी का नाम और डिमैट आईडी/ फोलियो नंबर**

सिस्टम आपके विवरण से मेल खाते प्रविष्टियों को दिखाएगा।

प्रश्न 2. IEPF से धनवापसी का दावा कौन कर सकता है?

शेयरधारक, जमा धारक, या उनके कानूनी वारिस, जिनके डिविडेंड, जमा, डिबेंचर या शेयर क्रमशः 7 वर्षों तक अप्राप्त रहते हैं और जिन्हें कंपनी द्वारा IEPF में हस्तांतरित किया गया है, वे IEPF से धनवापसी का दावा **वेबफॉर्म IEPF-5** भरकर और आवश्यक दस्तावेज जमा करके कर सकते हैं।

प्रश्न 3. दावा न किया गया लाभांश कब विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाता है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) - दावा न किया गया लाभांश:

यदि कोई पैसा कंपनी के भुगतान न किए गए लाभांश खाते (धारा 124(1) के अंतर्गत) में अंतरित किया जाता है, और ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक उस पर कोई दावा नहीं किया जाता और वह रकम वहीं पड़ी रहती है, तो कंपनी उस राशि को, उस पर अर्जित ब्याज सहित (यदि कोई हो), कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत बनाई गई विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर देगी।

प्रश्न 4. दावा न किए गए शेयर क्या होते हैं?

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के अनुसार - दावा न किए शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण :

यदि लगातार सात वर्षों तक किसी शेयर के संबंध में भुगतान न किया गया हो या उसके लाभांश पर कोई दावा न किया गया हो, तो कंपनी के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे शेयरों को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दे ।

प्रश्न 5. क्या IEPFA में दावा दाखिल करने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?

नहीं, दावा दाखिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

प्रश्न 6. मैं अपने डिविडेंड और शेयर को IEPF में ट्रांसफर होने से कैसे बचाऊं?

- अपने बैंक खाते में समय-समय पर डिविडेंड क्रेडिट की जाँच करें।

- अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के साथ बैंक खाता विवरण अपडेट करें।
- अपने बैंक के साथ KYC अपडेट रखें।

प्रश्न 7. क्या IEPF क्लेम प्रक्रिया के लिए मूल शेयर प्रमाणपत्र आवश्यक हैं?

हां, मूल शेयर प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। यदि प्रमाणपत्र खो गए हों, तो दावा करने वाले को IEPF नियमों की अनुसूची-III के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा:

1. 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य होने पर FIR/ पुलिस रिपोर्ट की स्वयं-प्रमाणित प्रति।
2. नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आत्मदायित्व बॉन्ड।
3. 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना।

NRI के मामलों में FIR की जगह, नोटरीकृत/ अपोस्टिल्ड/कौंसुलराइज्ड स्व-घोषणापत्र के साथ पासपोर्ट और विदेशी पते का प्रमाण आवश्यक है।

प्रश्न 8. क्लाइंट मास्टर लिस्ट (CML) क्या है?

क्लाइंट मास्टर लिस्ट वह दस्तावेज है जो आपके डिपॉजिटरी से प्राप्त होता है। इसमें आपके डिमैट खाते की पूरी जानकारी (जैसे DP ID, नाम, पता, संपर्क विवरण और बैंक जानकारी) होती है ।

प्रश्न 9. नाम में असंगति (Mismatch)

मामूली भिन्नता:

शपथपत्र + पहचान पत्र की प्रति आवश्यक।

बड़ा अंतर (जैसे विवाह या अन्य कारणों से नाम बदलना):

- विवाह प्रमाणपत्र/पासपोर्ट जिसमें पति/पत्नी का नाम हो।
- अन्य कारणों के लिए राजपत्र में नाम परिवर्तन का प्रकाशन आवश्यक।

प्रश्न 10. शेयरों का ट्रांसमिशन (Transmission of Shares)

नियमों की अनुसूची-II के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है।

- नामांकित/बिना नामांकित, एकल या संयुक्त होल्डिंग के अनुसार आवश्यक दस्तावेज (डेथ सर्टिफिकेट, शपथपत्र, वारिस प्रमाणपत्र आदि)।
- मूल्य सीमा के आधार पर (5 लाख/15 लाख रुपये) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या NOC आदि आवश्यक हो सकते हैं।

प्रश्न 11. क्या ऑनलाइन फाइलिंग के बाद दस्तावेजों की भौतिक कॉपी जमा करनी होती है?

हाँ। IEPF-5 दाखिल करने के बाद हस्ताक्षरित प्रति समेत सभी दस्तावेज कंपनी के नोडल ऑफिसर को भेजने होते हैं और डाक रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होती है।

प्रश्न 12. क्या IEPF-5 दाखिल करने के लिए पेशेवर मदद की ज़रूरत है?

नहीं। फॉर्म स्व-व्याख्यात्मक है और वेबसाइट पर निर्देश उपलब्ध हैं। जरूरत पड़ने पर IEPFA कार्यालय में मदद ली जा सकती है।

प्रश्न 13. क्या IEPF से धन वापसी के लिए कोई समय सीमा है?

नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। वैध दावेदार कभी भी दावा कर सकता है।

प्रश्न 14. क्या IEPFA निवेशक शिकायतों के लिए हेल्पडेस्क उपलब्ध कराता है?

हाँ। IEPFA वेबसाइट पर टिकटिंग सिस्टम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

प्रक्रिया:

- www.iepf.gov.in पर जाएं
- "Services > Raise Ticket" चुनें
- "Create Service Related Complaints" भरें

प्रश्न 15. क्या ईमेल द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है?

नहीं। अब केवल ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

प्रश्न 16. क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है?

हाँ, टोल-फ्री नंबर: **14453**

समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (सोम-शुक्रवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर)।

प्रश्न 17. क्या मैं IEPFA कार्यालय जा सकता हूँ?

हाँ, **सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक** नई दिल्ली स्थित कार्यालय में जाकर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (PRO) से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 18. IEPFA के बारे में अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है?

आधिकारिक वेबसाइट: https://www.iepf.gov.in

मानक कार्यप्रणाली (एसओपी)

1. **MCA वेबसाइट पर जाएं** → MCA Services > IEPF Services > IEPF-5 Web Form
2. सटीक जानकारी जैसे Folio/DP ID, कंपनी का नाम (CIN), शेयर संख्या, पैन, आधार, बैंक और डिमैट विवरण तैयार रखें।
3. फॉर्म भरने के बाद SRN (Service Request Number) प्राप्त होगा।

जमा करने के बाद:

- IEPF-5 की प्रति प्रिंट करें
- शपथपत्र और इन्डेम्निटी बॉन्ड संलग्न करें
- कंपनी के नोडल ऑफिसर को भेजें
- डाक रसीद पोर्टल पर अपलोड करें

प्रोसेस:

कंपनी सत्यापन करेगी → रिपोर्ट IEPFA को देगी → IEPFA स्वीकृति के बाद आपके बैंक खाते/डिमैट खाते में राशि/शेयर वापस होंगे।

अस्वीकृति के कारण

- यदि 60 दिनों में रिपोर्ट नहीं मिली तो दावा अस्वीकृत हो सकता है।
- अधूरे/खराब दावे पर 15 दिन में सुधार न करने पर भी दावा अस्वीकृत किया जा सकता है।
- गलत दावा धोखाधड़ी माना जाएगा और दंडनीय होगा।

अनिवार्य दस्तावेज

- मूल इन्डेम्निटी बॉन्ड
- KYC दस्तावेज
- शेयर प्रमाणपत्र (या डिमैट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट)
- क्लाइंट मास्टर लिस्ट (CML)
- कैंसिल्ड चेक/पासबुक
- शपथपत्र (नाम परिवर्तन के लिए)

IEPFA का शिकायत निवारण तंत्र

- PRO हेल्प डेस्क (नई दिल्ली)
- टिकटिंग सिस्टम (6 सितंबर 2024 से)
- IVRS कॉल सेंटर (14453, बहुभाषी - 11 भाषाओं में)
- व्यक्तिगत कार्यक्रम
- निवेशक पंचायत (हर सोमवार)
- निवेशक सुनवाई (देश के विभिन्न शहरों में)
- निवेशक शिविर (SEBI सहयोग से)
- सोशल मीडिया (X, FB, Instagram, LinkedIn)
- CPGRAMS पोर्टल (https://pgportal.gov.in)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (SCWF) - बीमा



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. अदावी बीमा राशि क्या है?

अदावी बीमा राशि बीमाकर्ता द्वारा धारित, परंतु उपभोक्ताओं को उसपर उपचित आय सहित देय उस राशि को निर्दिष्ट करती है जो किसी भी उपाय के द्वारा संपर्क-योग्यता न होने के कारण और ऐसे भुगतान की तारीख से बारह महीनों से अधिक समय के लिए अदत्त रहती है।

प्रश्न 2. पॉलिसीधारक/लाभार्थी कैसे जान सकते हैं कि उनको कोई राशियाँ देय हैं?

पॉलिसीधारक/लाभार्थी संबंधित बीमाकर्ता(ओं) की वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित विवरणों का उपयोग करके ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

i) पॉलिसी संख्या

ii) पॉलिसीधारक का पैन

iii) पॉलिसीधारक का नाम (अनिवार्य)

iv) पॉलिसीधारक की जन्मतिथि (अनिवार्य)

अदावी राशियों के बारे में पूछताछ करने के लिए बीमाकर्ताओं के वेबसाइट लिंक आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल में भी प्रकाशित हैं। इस पोर्टल तक निम्नलिखित लिंक से पहुँचा जा सकता हैः https://bimabharosa.irdai.gov.in/Home/Unclaimed_Amount

प्रश्न 3. पॉलिसीधारक/लाभार्थी जब एक बार उनके लिए प्राप्य राशियों की पहचान करते हैं, तो उक्त राशियों का दावा करने के लिए प्रक्रिया क्या है?

पॉलिसीधारक/लाभार्थी नीचे बिन्दु 13 में उल्लिखित विवरण/दस्तावेजों के साथ संबंधित बीमाकर्ता की निकटतम शाखा से अथवा आनलाइन (पोर्टल/ईमेल द्वारा) संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न 4. ऐसे समय जब पालिसी प्रचलन में है अथवा प्रदत्त (पेइड-अप) स्थिति में है और किसी ने बीमे का दावा नहीं किया है, यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है?

यदि नामिती अथवा विधिक वारिस लाभों का दावा नहीं करता, तो उक्त राशि अदत्त रहती है। तथापि, ऐसी स्थिति में भी वे बीमाकर्ता को पालिसी दस्तावेज में बताये गये अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के द्वारा दावा फाइल कर सकते हैं।

प्रश्न 5. अदावी राशि का दावा करने के लिए क्या प्रक्रिया है यदि जीवन बीमा पालिसी में उल्लिखित नामिती भी जीवित नहीं है?

यदि पालिसी दस्तावेज में उल्लिखित नामिती भी जीवित नहीं है, तो विधिक वारिस बीमाकर्ता से संपर्क कर सकते हैं और दावा निपटान/भुगतान के लिए पालिसी दस्तावेजों में बताये गये रूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रश्न 6. 10 वर्ष के बाद अदावी राशियों का क्या होता है?

यदि कोई राशि **10 वर्ष** से अधिक समय के लिए अदावी रहती है, तो वह बीमाकर्ता के द्वारा, भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित **वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ)** में अंतरित की जाती है। **तथापि**, उसके अंतरित किये जाने के बाद भी, वैध दावेदार ऐसे अंतरण की तारीख से 25 वर्ष तक बीमाकर्ता से संपर्क कर सकता है और उक्त राशि का दावा कर सकता है।

प्रश्न 7. पॉलिसीधारक/लाभार्थी अपनी अदावी राशियों का दावा, उन्हें वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) में अंतरित किये जाने के बाद कैसे कर सकते हैं?

पॉलिसीधारक/लाभार्थी अपनी पालिसियों के अंतर्गत देय राशियों का दावा करने के लिए उन्हें वरिष्ठ

नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) में अंतरित करने की तारीख से 25 वर्ष तक पात्र होंगे। यदि 25 वर्ष के अंदर उनका दावा नहीं किया जाता, तो ऐसी राशियाँ वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 126 के अनुसार केन्द्र सरकार की राजगामी संपत्ति के रूप में जब्त (इस्चीट) की जाएँगी।

प्रश्न 8. क्या अदावी बीमा राशि का दावा करने के लिए कोई शुल्क अथवा समय-सीमा है?

नहीं। आपकी अदावी बीमा राशि का दावा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। आप उक्त राशि का दावा उसके एससीडब्ल्यूएफ में अंतरित किये जाने के बाद भी अंतरण की तारीख से 25 वर्ष तक कर सकते हैं।

प्रश्न 9. मैं भविष्य में अदावी राशि होने से अपनी बीमा राशि को कैसे रोक सकता हूँ?

- आप हमेशा बीमाकर्ता के पास अपने संपर्क के विवरण को अद्यतन करें।
- एक नामित व्यक्ति (नामिती) का पंजीकरण करें और उक्त सूचना को अद्यतन रखें।
- अपनी पालिसियों के बारे में अपने परिवार को सूचित करें।
- अपनी बीमा पालिसियों के भौतिक और डिजिटल अभिलेख रखें।
- आप पालिसी दस्तावेज की साफ्ट प्रतियाँ डिजीलाकर में भी सुरक्षित रख सकते हैं।
- आसानी से पहचान करने के लिए अपनी पालिसियों को अपने आधार और पैन के साथ संबद्ध करें।

प्रश्न 10. यदि अपनी धनराशि का दावा करने में मुझे कोई कठिनाई होती है तो मैं कहाँ से सहायता प्राप्त कर सकता हूँ?

आपः

- संबंधित बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) से संपर्क कर सकते हैं। जीआरओ का विवरण बीमाकर्ता की वेबसाइट से अथवा www.irdai.gov.in (Home>ConsumerAffairs> Grievance Redressal>List of GROs) पर आईआरडीएआई वेबसाइट से भी अथवा लिंकः https://irdai.gov.in/list-of-gros से प्राप्त किया जा सकता है।
- आईआरडीएआई बीमा भरोसा शिकायत निवारण पोर्टल - https://bimabharosa.irdai.gov.in/ का उपयोग कर सकते हैं।

आईआरडीएआई निःशुल्क (टोल-फ्री) हेल्पलाइनः 155255/1800 4254 732 पर काल कर सकते हैं।

प्रश्न 11. क्या बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे अपने पास स्थित अदावी राशियों पर कोई ब्याज अदा करें?

बीमाकर्ताओं से अदावी राशि का भुगतान उनपर अर्जित निवेश आय के साथ करने की अपेक्षा है।

प्रश्न 12. अदावी राशियों के संबंध में लागू अनुदेश/ दिशानिर्देश क्या हैं?

पॉलिसीधारक/लाभार्थी आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित परिपत्रों के उपबंधों का संदर्भ ले सकता हैः

i) संदर्भ सं. आईआरडीएआई/पीपीएण्डजीआर/ सीआईआर/विविध/117/9/2024 दिनांक 05.09.2024 के द्वारा पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण संबंधी मास्टर परिपत्र, जहाँ तक लिंकः https://irdai.gov.in/document-detail?documentId=5625747 से पहुँचा जा सकता है।

ii) संदर्भ सं. आईआरडीएआई/पीपीजीआर/ सीआईआर/विविध/97/06/2024 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा बीमाकर्ताओं के

परिचालन और संबद्ध विषय - पर मास्टर परिपत्र जहाँ तक लिंकः https://irdai.gov.in/document-detail?documentId=5083599 से पहुँचा जा सकता है।

प्रश्न 13. अदावी बीमा राशि का दावा मैं कैसे कर सकता हूँ?

आपके लिए निम्नलिखित विवरण के साथ बीमा कंपनी से संपर्क करने तथा दावे प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैः

i) पालिसी संबंधी विवरण/दस्तावेज

ii) बैंक खाते का विवरण

iii) मुद्रित नाम और खाता संख्या से युक्त निरस्त चेक के साथ दावेदार का फोटो आईडी अथवा बैंक पासबुक/बैंक विवरण की प्रति के साथ निरस्त चेक

iv) पहचान के प्रमाण के लिए केवाईसी दस्तावेज

v) विधिमान्य आईडी, पते और संबंध का प्रमाण (यदि दावा पॉलिसीधारक के अलावा किसी लाभार्थी/नामिती द्वारा किया जाता है)

vi) विधिवत् भरा गया दावा फार्म

vii) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, यदि विधिक वारिस दावा कर रहा हो

viii) पालिसी दस्तावेज के अनुसार दावे के प्रमाण के लिए अपेक्षित दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र, अस्पताल के अभिलेख, पुलिस रिपोर्ट/शिकायतें, एफआईआर रिपोर्ट

यदि मूल पालिसी दस्तावेज खो गया हो, तो आपके लिए कंपनी की नीति के आधार पर एक क्षतिपूर्ति बांड फाइल करने की आवश्यकता हो सकती है।

नामितियों अथवा विधिक वारिसों को मृत्यु प्रमाणपत्र और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जैसे अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्यतः प्रस्तुत करने चाहिए।

प्रश्न 14. अपनी अदावी राशियों के बारे में सूचना के लिए मैं पूछताछ आनलाइन कहाँ कर सकता हूँ?

अदावी राशियों के बारे में पूछताछ करने के लिए बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों के लिंक नीचे दिये गये:

क्र.सं.	जीवन बीमाकर्ता का नाम	अदावी राशि की जांच के लिए लिंक
1	आदित्य बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://lifeinsuranceservicing.adityabirlacapital.com/pre-unclaim
2	बंधन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	https://lifeinsuranceservicing.adityabirlacapital.com/pre-unclaim
3	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.ageasfederal.com/unclaimed-payouts-form
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड	https://online.avivaindia.com/econnect/Pages/IRDA_Claims.aspx
5	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://life.bajajallianz.com/lifeinsurance/lifeProds/unclaimed.jsp
6	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.bhartiaxa.com/unclaimed-amount
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.canarahsbclife.com/customer-service/claims/unclaimed-amount

क्र.सं.	जीवन बीमाकर्ता का नाम	अदावी राशि की जांच के लिए लिंक
8	एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.edelweisslife.in/unclaimedamount
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय)	https://www.hdfclife.com/customer-service/claims/unclaimed-policyholder-payment-dues-amount-disclosure/eli
10	जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.generalicentrallife.com/customer-service/unclaimed-amount
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.hdfclife.com/customer-service/claims/unclaimed-policyholder-payment-dues-amount-disclosure
12	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://customer.iciciprulife.com/csr/unclaimedAmountAuthentication.htm?execution=e1s1
13	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.indiafirstlife.com/unclaimed-amount
14	कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://customer.kotaklifeinsurance.com/CP/customerunclaimamount.aspx
15	भारतीय जीवन बीमा निगम	https://merchant.licindia.in/LICEPS/portlets/visitor/unclaimedPolicyDues/UnclaimedPolicyDuesController.jpf
16	एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.axismaxlife.com/cs/unclaimed-amount
17	पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.pnbmetlife.com/wps/portal/Home/unclaimedform/
18	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://pramericalife.in/unclaimed-amount
19	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.reliancenipponlife.com/public-disclosures/unclaimed-amount-of-policy-holders
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.sbilife.co.in/unclaimed-amount-disclosure
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://shriramlife.in/SLP/unclaimedamount
22	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.sudlife.in/public-disclosures/unclaimed-amount
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.tataaia.com/premium-payment/unclaimed-fund.html

क्र.सं.	साधारण बीमाकर्ता का नाम	अदावी राशि की जांच के लिए लिंक
1	एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	https://www.acko.com/gi/unclaimed-amount/
2	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड	https://www.aicofindia.com/regulatory-compliance
3	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://general.bajajallianz.com/BagicNxt/unClaimedData/searchDetails.do
4	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.cholainsurance.com/unclaimed-amount
5	नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	https://navi.com/insurance/unclaimed-claims
6	जूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.hizuno.com/unclaimed-amount
7	फ्यूचर जेनेराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.generalicentralinsurance.com//customer-service/unclaimed-amount
8	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	https://www.godigit.com/claim/check-unclaimed-amount
9	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.hdfcergo.com/claim/trackclaim_refund_payment_status
10	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://ilhc.icicilombard.com/Home/UnclaimedAmount
11	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.iffcotokio.co.in/claims/unclaimed-amount-policy-holders
12	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://kshema.co/unclaimed-amount/
13	ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.zurichkotak.com/journey/index.html#/claims/unclaimed-amount
14	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	https://www.libertyinsurance.in/products/irdai/irdaiindex
15	मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	https://www.magmainsurance.com/unclaimed-amount
16	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://payments.nic.co.in:8443/StatusChecker/
17	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.rahejaqbe.com/unclaimed-amount
18	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.reliancegeneral.co.in/Insurance/About-Us/Unclaimed-Amount.aspx?type=Unclaimedamount

क्र.सं.	साधारण बीमाकर्ता का नाम	अदावी राशि की जांच के लिए लिंक
19	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.royalsundaram.in/unclaimed
20	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.sbigeneral.in/unclaimed-policy-details
21	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://serviceapi.shriramgi.net/cloud/?module=ucasearch
22	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.tataaig.com/service/unclaimed-amount
23	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.newindia.co.in/portal/unclaimedPolHolAmt
24	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://orientalinsurance.org.in/unclaimed-amount
25	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://portal.uiic.in/CUSTOMERPORTAL/unclaimed_query.jsp
26	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.usgi.co.in/usgi/claim_refund.aspx

क्र.सं.	स्वास्थ्य बीमाकर्ता का नाम	अदावी राशि की जांच के लिए लिंक
1	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.adityabirlacapital.com/healthinsurance/unclaimed-amount
2	मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.manipalcigna.com/disclosures/unclaimed-amount
3	निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://transactions.nivabupa.com/unclaimed/unclaimedamount.aspx
4	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड	https://www.careinsurance.com/unclaimed-amount.php
5	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	https://www.starhealth.in/claim-proposal/
6	गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस	https://www.galaxyhealth.com/public-disclosures
7	नारायण हृदयालय हेल्थ इंश्योरेंस	नई पंजीकृत बीमा कंपनी, अतः अदावी राशि अप्रयोज्य।

मानक कार्यप्रणाली (एसओपी)

1. यदि पॉलिसीधारक जानता है कि उसने एक पालिसी ली है, तथा अपनी पालिसी संख्या नहीं जानता है/ पालिसी संख्या उसके पास नहीं है, तो वह बीमाकर्ता की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकता है और नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करने के द्वारा अपनी पालिसी का विवरण प्राप्त कर सकता/सकती है।

 चरण 1: बीमाकर्ता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

 निम्नलिखित लिंक द्वारा बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों तक भी पहुँचा जा सकता हैः https://bimabharosa.irdai.gov.in/Home/UnclaimedAmount

 चरण 2: पालिसीधारकों की अदावी राशियों से संबंधित लिंक का चयन करें।

 चरण 3: अपना आधारभूत विवरण प्रविष्ट करें जैसेः

 - पालिसी संख्या (*)
 - स्थायी खाता संख्या (पैन)
 - पॉलिसीधारक का नाम (अनिवार्य)
 - पॉलिसीधारक की जन्मतिथि (डीओबी) (अनिवार्य)

 (*) यदि पालिसी संख्या मालूम नहीं है, तो बीमाकर्ता के कार्यालय में विजिट करें।

 चरण 4: सेवा शाखा का विवरण प्राप्त करें।

 चरण 5: नीचे बताये गये रूप में अपेक्षाएँ प्रस्तुत करें तथा एनईएफटी द्वारा पॉलिसीधारक/दावेदार/नामिती के बैंक खाते में दावा राशि प्राप्त करें।

 यदि नामिती/पॉलिसीधारक का विधिक वारिस ऐसी पालिसी को पाता है जहाँ पालिसी के अंतर्गत दावा लंबित है, तो वह निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत करने के द्वारा अपनी पालिसी के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करते हुए शाखा में विजिट कर सकता/सकती है/शाखा से संपर्क कर सकता/सकती है।

 i) पालिसी का विवरण/दस्तावेज
 ii) बैंक खाता विवरण
 iii) मुद्रित नाम और खाता संख्या सहित दावेदार का फोटो आईडी और निरस्त चेक अथवा बैंक पासबुक/ बैंक विवरण की प्रति के साथ निरस्त चेक
 iv) पहचान का प्रमाण देने के लिए केवाईसी दस्तावेज
 v) विधिमान्य आईडी, पता और संबंध का प्रमाण (यदि दावा पॉलिसीधारक के अलावा किसी लाभार्थी/ नामिती के द्वारा किया जाता है)
 vi) विधिवत् भरा गया दावा फार्म
 vii) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, यदि विधिक वारिस दावा कर रहा/रही हो
 viii) पालिसी दस्तावेज के अनुसार दावे का प्रमाण देने के लिए अपेक्षित दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र, अस्पताल के अभिलेख, पुलिस रिपोर्ट/शिकायतें, एफआईआर रिपोर्ट

2. यदि पॉलिसीधारक पालिसी संख्या जानता है, तथापि वह सर्विसिंग शाखा नहीं जानता, तो वह बीमाकर्ता की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करने के द्वारा और/ या आईआरडीएआई बीमा भरोसा पोर्टल में उपलब्ध निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करने के द्वारा सर्विसिंग शाखा का पता और ई-मेल प्राप्त कर सकता हैः https://bimabharosa.irdai.gov.in/Home/UnclaimedAmount

3. यदि पॉलिसीधारक के पास पालिसी संख्या है, परंतु उसके पास पालिसी बांड नहीं है, तो वह सर्विसिंग शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकता/सकती है और बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित दावा निपटान प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है।

4. यदि पॉलिसीधारक के पास पालिसी का विवरण है जहाँ दावा बकाया है, तो वह उक्त सर्विसिंग शाखा कार्यालय से मूल पालिसी बांड, डिस्चार्ज फार्म, केवाईसी और एनईएफटी (बैंक) विवरण के साथ संपर्क कर सकता/सकती है। उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पॉलिसीधारक को दावे का भुगतान किया जाएगा।



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अभिदाताओं के पेंशन अंशदान संरक्षण खाते (एसपीसीपीए) से धनवापसी की प्रक्रिया

प्रश्न 1. अभिदाताओं के पेंशन अंशदान संरक्षण खाते (एसपीसीपीए) से धनवापसी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

नीचे दिए गए मबिंदु संख्या 6 पर सूची के अनुसार, पीओपी से जुड़ा कोई भी एनपीएस/एनपीएस लाइट अभिदाता, जिन्होंने पीओपी के साथ अंशदान राशि जमा की थी, इस प्रक्रिया के तहत धनवापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि:

- अभिदाता के अंशदान को एनपीएस (पीओपीएस-एनपीएस) के तहत उपस्थिति बिंदुओं या एनपीएस-लाइट (पीओपीएस-एनपीएस-लाइट, पूर्ववर्ती 'एग्रीगेटर') के तहत उपस्थिति बिंदुओं के साथ जमा किया गया था, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है (बिंदु संख्या - 6)

 और

- उक्त अंशदान उनके स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में अपलोड/जमा नहीं किया गया

 या

- उनका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सृजन नहीं किया गया था

प्रश्न 2. मैं अपना दावा कहां प्रस्तुत कर सकता हूं?

अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार धनवापसी के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे पीएफआरडीए या पीओपी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न 3. ऐसे बिना दावा किए अंशदा न को पीओपी द्वारा पीएफआरडीए द्वारा संधृत सब्सक्राइबर पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन प्रोटेक्शन अकाउंट (एसपीसीपीए) में कब ट्रांसफर किया जाता है?

सात (7) साल से अधिक समय तक बिना दावा किए गए/असंगत अंशदान, या अगर इंटरमीडियरी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो, तो उन्हें पीओपीएस द्वारा एसपीसीपीए खाते में जमा किया जाता है।

प्रश्न 4. दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है?

आपको अपना दावा, अपने (पीओपी-एनपीएस) या (पीओपी-एनपीएस-लाइट) द्वारा जमा की गई राशि को पीएफआरडीए के खाते में स्थानांतरित किए जाने की तारीख से 25 वर्ष के भीतर जमा करना होगा।

प्रश्न 5. दावा प्रक्रिया क्या है?

(i) उपभोक्ता/दावेदार/जमाकर्ता मध्यवर्ती द्वारा खाते में दावारहित जमाराशियों के अंतरण की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र के अनुसार धनवापसी के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे अथवा मध्यवर्ती के माध्यम से पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।

(ii) दावा-अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात्, पीएफआरडीए दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और पीएफआरडीए की अभिरक्षा में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार दावे की वैधता की जांच की जाएगी। तथापि, दस्तावेजों में कोई विसंगति पाए जाने पर, पीएफआरडीए द्वारा दावे के सत्यापन के लिए उसे मध्यवर्ती को भेजा जा सकता है।

(iii) यदि पीओपी-एनपीएस लाईट को दावा-अनुरोध प्राप्त होता है, तो पीओपी-एनपीएस लाईट उसे सहायक दस्तावेजों के साथ पीएफआरडीए को अग्रेषित करेगा।

(iv) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के दावे की समीक्षा के पश्चात्, पीएफआरडीए उस खाते से धनवापसी के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

(v) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता को जमा अंशदान और मध्यवर्ती से प्राप्त मुआवजा, यदि कोई हो तो, वापस किया जाएगा। इसके अलावा, उस अवधि, जिसमें खाते में धनराशि पड़ी हुई है, के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(vi) धनवापसी पर उस राशि को सीधे अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

अभिदाताओं के पेंशन अंशदान संरक्षण खाते से अंशदान का दावा करने हेतु दावा प्रारूप पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है। दावे की विस्तृत प्रक्रिया एसओपी अनुभाग में अलग से दी गई है।

प्रश्न 6. किस पीओपी-एनपीएस या पीओपी-एनपीएस-लाइट ने पीएफआरडीए को ऐसी राशि की सूचना दी है?

यदि आपने निम्नलिखित पीओपी-एनपीएस या पीओपी-एनपीएस-लाइट (पूर्ववर्ती एग्रीगेटर) में से किसी के पास अंशदान जमा कराया है तो आप धनवापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं (दिनांक 18.09.2025 तक) :

एनपीएस		
क्र. सं.	**पीओपी-एनपीएस का नाम/संस्था**	**क्रेडिट की तिथि**
1.	आईएल एंड एफएस सिक्योरिटीज	19 जनवरी 2024
2.	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	21 अप्रैल 2023
एनपीएस लाईट		
क्र. सं.	**पीओपी-एनपीएस लाईट का नाम/ संस्था**	**क्रेडिट की तिथि**
1.	एलआईसी ऑफ इंडिया (एलआईसीएचएफएल व्यवसाय का एलआईसी ऑफ इंडिया में विलय)	21 जून 2025
2.	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड	20 दिसम्बर 2022 तथा 23 दिसम्बर 2022
3.	आइएल एंड एफएस लिमिटेड	16 सितम्बर 2022
4.	सप्तऋषि कंसल्टेंसी सर्विसेज	23 दिसम्बर 2022
5.	इण्डिया इंफोलाइन लिमिटेड	21 अक्टूबर 2022

प्रश्न 7. मुझे दावा प्रारूप कहां मिल सकता है?

अभिदाता पीएफआरडीए वेबसाइट पर जाकर दावा प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न 8. मेरा दावा प्रस्तुत करने के बाद क्या होता है?

I. यदि पीएफआरडीए द्वारा प्राप्त दावा प्रपत्र:

- पीएफआरडीए आपके दावे की जांच करेगा और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करेगा।
- दस्तावेजों में कोई विसंगति पाए जाने पर, पीएफआरडीए द्वारा दावे के सत्यापन के लिए उसे मध्यवर्ती को भेजा जा सकता है।

II. **यदि** दावा प्रपत्र पीओपी-एनपीएस या पीओपी-एनपीएस-लाइट को प्रस्तुत किया जाता है:

- यदि दावा प्रपत्र पीओपी-एनपीएस या पीओपी-एनपीएस-लाइट को प्रस्तुत किया जाता है, तो वे दावा और उसके सहायक दस्तावेजों को प्रसंस्करण के लिए पीएफआरडीए को अग्रेषित करेंगे।

III. **अनुमोदन** और वापसी:

- सत्यापन और उचित जाँच के बाद, पीएफआरडीए धनवापसी को मंजूरी देगा और संसाधित करेगा।

प्रश्न 9. क्या मुझे पीओपी-एनपीएस या पीओपी-एनपीएस लाइट के साथ जमा की गई मूल राशि पर कोई मुआवजा मिलता है?

हां, आपको निम्नलिखित प्राप्त हो सकते हैं:

- जमा किया गया मूल अंशदान,
- कोई मुआवजा राशि मध्यस्थ से वसूल किया गया हो (यदि लागू हो),
- पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज उस अवधि के लिए जिस पर दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

प्रश्न 10.धनवापसी का भुगतान कैसे किया जाएगा?

धनवापसी राशि सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा होगी ।

प्रश्न 11.शिकायत निवारण तंत्र क्या है?

दावाकर्ता, दावा न की गई जमाराशियों से संबंधित किसी भी शिकायत को पीएफआरडीए को रिपोर्ट करने के लिए unclaimed.deposits@pfrda.org.in पर लिख सकते हैं, जिसका संबंधित विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है।

प्रश्न12.मैं अपने बिना दावा किए जमा धन के बारे में शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता हूँ?

आप बिना दावा किए जमा धन से संबंधित कोई भी शिकायत PFRDA को unclaimed.deposits@pfrda.org.in पर भेज सकते हैं। PFRDA समय-सीमा के अंदर शिकायतों का समाधान करेगा।

मानक कार्यप्रणाली (एसओपी)

अभिदाता पेंशन अंशदान संरक्षण खाता (एसपीसीपीए) से धनवापसी की प्रक्रिया- एनपीएस

ऐसे मामलों में जहां एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं ने अतीत में एनपीएस के अंतर्गत अपने संबंधित उपस्थिति बिंदुओं (पीओपीएस-एनपीएस) में निम्नलिखित सूची के अनुसार अंशदान जमा किया है

क्र. सं.	पीओपी-एनपीएस का नाम/संस्था	क्रेडिट की तिथि
1.	आईएल एंड एफएस सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड	19 जनवरी 2024
2.	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	21 अप्रैल 2023

यद्यपि उक्त अंशदान उनके स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में अपलोड/जमा नहीं किया गया अथवा उनका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सृजन नहीं किया गया था, तो ऐसे मामलों में अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता धनवापसी हेतु अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे या इन पीओपी-एनपीएस के माध्यम से पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।

धनवापसी का दावा करने की विस्तृत प्रक्रिया के साथ दावा प्रारूप निम्नानुसार है:

(i) उपभोक्ता/दावेदार/जमाकर्ता मध्यवर्ती द्वारा खाते में दावारहित जमाराशियों के अंतरण की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र के अनुसार धनवापसी के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे अथवा मध्यवर्ती के माध्यम से पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।

(ii) दावा-अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात्, पीएफआरडीए दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और पीएफआरडीए की अभिरक्षा में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार दावे की वैधता की जांच की जाएगी। तथापि, दस्तावेजों में कोई विसंगति पाए जाने पर, पीएफआरडीए द्वारा दावे के सत्यापन के लिए उसे मध्यवर्ती को भेजा जा सकता है।

(iii) यदि पीओपी-एनपीएस को दावा-अनुरोध प्राप्त होता है, तो पीओपी-एनपीएस सहायक दस्तावेजों के साथ पीएफआरडीए को दावा अग्रेषित करेगा।

(iv) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के दावे की समीक्षा के पश्चात्, पीएफआरडीए उस खाते से धनवापसी के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

(v) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता को जमा अंशदान और मध्यवर्ती से प्राप्त मुआवजा, यदि कोई हो तो, वापस किया जाएगा। इसके अलावा, उस अवधि, जिसमें खाते में धनराशि पड़ी हुई है, के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(vi) धनवापसी पर उस राशि को सीधे अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

(vii) दावा प्रारूप अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है:

अभिदाता पेंशन अंशदान संरक्षण खाता (एसपीसीपीए) से धनवापसी की प्रक्रिया-एनपीएस-लाईट

ऐसे मामलों में, जहां एनपीएस लाईट-स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं ने संबंधित उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी-एनपीएस लाईट, पहले एग्रीगेटर के तौर पर प्रचलित), जो निम्नलिखित सूची, में एनपीएस-लाईट के अंतर्गत अंशदान जमा किया था ।

क्र. सं.	पीओपी-एनपीएस लाईट का नाम/ संस्था	क्रेडिट की तिथि
1.	एलआईसी ऑफ इंडिया (एलआईसीएचएफएल व्यवसाय का एलआईसी ऑफ इंडिया में विलय)	21 जून 2025

2.	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड	20 दिसम्बर 2022 तथा 23 दिसम्बर 2022
3.	आइएल एंड एफएस लिमिटेड	16 सितम्बर 2022
4.	सप्तऋषि कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	23 दिसम्बर 2022
5.	इण्डिया इंफोलाइन लिमिटेड	21 अक्टूबर 2022

यद्यपि उक्त अंशदान उनके स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में अपलोड/जमा नहीं किया गया अथवा उनका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सृजन नहीं किया गया था, तो ऐसे मामलों में अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता धनवापसी हेतु अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे या इन पीओपी-एनपीएस लाईट के माध्यम से पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।

धनवापसी का दावा करने की विस्तृत प्रक्रिया के साथ दावे का प्रारूप निम्नानुसार है :

(i) उपभोक्ता/दावेदार/जमाकर्ता मध्यवर्ती द्वारा खाते में दावारहित जमाराशियों के अंतरण की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र के अनुसार धनवापसी के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे अथवा मध्यवर्ती के माध्यम से पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।

(ii) दावा-अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात्, पीएफआरडीए दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और पीएफआरडीए की अभिरक्षा में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार दावे की वैधता की जांच की जाएगी। तथापि, दस्तावेजों में कोई विसंगति पाए जाने पर, पीएफआरडीए द्वारा दावे के सत्यापन के लिए उसे मध्यवर्ती को भेजा जा सकता है।

(iii) यदि पीओपी-एनपीएस लाईट को दावा-अनुरोध प्राप्त होता है, तो पीओपी-एनपीएस लाईट उसे सहायक दस्तावेजों के साथ पीएफआरडीए को अग्रेषित करेगा।

(iv) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के दावे की समीक्षा के पश्चात्, पीएफआरडीए उस खाते से धनवापसी के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

(v) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता को जमा अंशदान और मध्यवर्ती से प्राप्त मुआवजा, यदि कोई हो तो, वापस किया जाएगा। इसके अलावा, उस अवधि, जिसमें खाते में धनराशि पड़ी हुई है, के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(vi) धनवापसी पर उस राशि को सीधे अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

(vii) दावा प्रारूप अनुलग्नक II के रूप में संलग्न है:

अभिदाताओं के पेंशन अंशदान संरक्षण खाते (एसपीसीपीए) से धन वापसी की प्रक्रिया - जहां संबंधित स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राशि अपलोड/जमा नहीं की गई है/स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सृजन नहीं हुआ है

ऐसे मामलों में जहां एनपीएस/एनपीएस लाइट योजनाओं के अंतर्गत अभिदाताओं ने अतीत में निम्नलिखित सूची के अनुसार अपने संबंधित उपस्थिति बिंदुओं में अंशदान अगर जमा किया है

एनपीएस		
क्र. सं.	**पीओपी-एनपीएस का नाम/संस्था**	**क्रेडिट की तिथि**
1.	आईएल एंड एफएस सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड	19 जनवरी 2024
2.	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	21 अप्रैल 2023

एनपीएस लाईट		
क्र. सं.	**पीओपी-एनपीएस लाईट का नाम/ संस्था**	**क्रेडिट की तिथि**
1.	एलआईसी ऑफ इंडिया (एलआईसीएचएफएल व्यवसाय का एलआईसी ऑफ इंडिया में विलय)	21 जून 2025
2.	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड	20 दिसम्बर 2022 तथा 23 दिसम्बर 2022
3.	आइएल एंड एफएस लिमिटेड	16 सितम्बर 2022
4.	सप्तऋषि कंसल्टेंसी सर्विसेज	23 दिसम्बर 2022
5.	इण्डिया इंफोलाइन लिमिटेड	21 अक्टूबर 2022

यद्यपि उक्त अंशदान उनके स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में अपलोड/जमा नहीं किया गया अथवा उनका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सृजन नहीं किया गया था, तो ऐसे मामलों में अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता धनवापसी हेतु अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे या इन पीओपी के माध्यम से पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।

धनवापसी का दावा करने की विस्तृत प्रक्रिया के साथ दावे का प्रारूप निम्नानुसार है:

(i) उपभोक्ता/दावेदार/जमाकर्ता मध्यवर्ती द्वारा खाते में दावारहित जमाराशियों के अंतरण की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र के अनुसार धनवापसी के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे अथवा मध्यवर्ती के माध्यम से पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।

(ii) दावा-अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात्, पीएफआरडीए दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और पीएफआरडीए की अभिरक्षा में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार दावे की वैधता की जांच की जाएगी। तथापि, दस्तावेजों में कोई विसंगति पाए जाने पर, पीएफआरडीए द्वारा दावे के सत्यापन के लिए उसे मध्यवर्ती को भेजा जा सकता है।

(iii) यदि पीओपी-एनपीएस/पीओपी-एनपीएस लाईट को दावा-अनुरोध प्राप्त होता है, तो पीओपी उसे सहायक दस्तावेजों के साथ पीएफआरडीए को अग्रेषित करेगा।

(iv) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के दावे की समीक्षा के पश्चात्, पीएफआरडीए उस खाते से धनवापसी के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

(v) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता को जमा अंशदान और मध्यवर्ती से प्राप्त मुआवजा, यदि कोई हो तो, वापस किया जाएगा। इसके अलावा, उस अवधि, जिसमें खाते में धनराशि पड़ी हुई है, के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(vi) धनवापसी पर उस राशि को सीधे अभिदाता/ दावेदार/जमाकर्ता के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

दावा प्रारूप अनुलग्नक I & II के रूप में संलग्न है

अनुलग्नक I

दावा प्रारूप

(अभिदाता के पेंशन अंशदान संरक्षण खाते से अंशदान का दावा करने के लिए)

सेवा में
विभागाध्यक्ष
पर्यवेक्षण - अंशदान प्रबंधन - गैर-सरकारी (पीओपी/आरए)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
ई-500, टॉवर-ई, 5वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110 029

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत अंशदान की धनवापसी के लिए अनुरोध

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि मैंने दिनांक <dd/mm/yyyy>..... को<पीओपी-एनपीएस का नाम>.... के माध्यम से एनपीएस के अंतर्गत अंशदान जमा कर दिया था और पीओपी द्वारा कोई स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सृजित नहीं की गयी।

अथवा

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि मैंने दिनांक <dd/mm/yyyy>..... को<पीओपी-एनपीएस का नाम>.... के माध्यम से एनपीएस के अंतर्गत अंशदान जमा कर दिया और वह मेरे स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में जमा नहीं किया गया था।

(जो लागू न हो, उसे काट दें)

इस संबंध में, मैं निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान कर रहा/रही हूं और धनवापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कर रहा/रही हूं :

1	अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता का नाम	
2.	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (स्व-सत्यापित प्रति)/स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उपलब्ध नहीं है (यदि स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उपलब्ध न हो, तो स्व-सत्यापित पहचान पत्र और पते का प्रमाण संलग्न किया जाए)	
3	पीओपी-एनपीएस का नाम	
4	अंशदान की राशि (रु. में)	
5	पावती रसीद (स्व-सत्यापित प्रति)	
6	मोबाइल नंबर	
7	अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता की ईमेल आईडी	
8	अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड के साथ एक रद्द किए गए बैंक-चेक की प्रति, जिसमें दावा राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा की जाएगी।	

अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक II

दावा प्रारूप

(अभिदाता के पेंशन अंशदान संरक्षण खाते से अंशदान का दावा करने के लिए)

सेवा में
विभागाध्यक्ष
पर्यवेक्षण - अंशदान प्रबंधन - गैर-सरकारी (पीओपी/आरए)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
ई-500, टॉवर-ई, 5वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110 029

विषय : एनपीएस-लाईट स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अंशदान की धनवापसी के लिए अनुरोध

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि मैंने दिनांक <dd/mm/yyyy>..... को<पीओपी-एनपीएस लाईट का नाम>.... के माध्यम से एनपीएस लाईट स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अंशदान जमा कर दिया था और पीओपी एनपीएस लाईट द्वारा कोई स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सृजित नहीं किया गया।

अथवा

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि मैंने दिनांक <dd/mm/yyyy>..... को<पीओपी-एनपीएस लाईट का नाम>.... के माध्यम से एनपीएस लाईट स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अंशदान जमा कर दिया था और वह मेरे स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में जमा नहीं किया गया था।

(जो लागू न हो, उसे काट दें)

इस संबंध में, मैं निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान कर रहा/रही हूं और धनवापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कर रहा/रही हूं :

1	अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता का नाम	
2.	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (स्व-सत्यापित प्रति)/स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उपलब्ध नहीं है (यदि स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उपलब्ध न हो, तो स्व-सत्यापित पहचान पत्र और पते का प्रमाण संलग्न किया जाए)	
3	पीओपी-एनपीएस लाईट (पहले एग्रीगेटर के रूप में प्रचलित) का नाम	
4	अंशदान की राशि (रु. में)	
5	पावती रसीद (स्व-सत्यापित प्रति)	
6	मोबाइल नंबर	
7	अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता की ईमेल आईडी	
8	अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड के साथ एक रद्द किए गए बैंक-चेक की प्रति, जिसमें दावा राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा की जाएगी।	

अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के हस्ताक्षर

सारांश पत्रक - वित्तीय परिसंपत्तियों का दावा

विवरण	डीईए फंड (आरबीआई)	सेबी-म्यूचुअल फंड	आईईपीएफ-एमसीए	आईआरडीएआई-एससीडब्ल्यूएफ	पीएफआरडीए
परिसंपत्तियों की प्रकृति	जमा	म्यूचुअल फंड्स	शेयर/लाभांश	बीमा पॉलिसियां	पीओपी के पास जमा एनपीएस/ एनपीएस-लाइट अभिदाताओं के अंशदान का मिलान नहीं किया गया
किस प्रकार की संपत्तियां दावा रहित हो जाती हैं?	मुख्यतः सभी प्रकार के जमा खाते, कानूनी आदेशों के कारण रखे गए जमा खातों को छोड़कर	मुख्यतः सभी प्रकार के जमा खाते, कानूनी आदेशों के कारण रखे गए जमा खातों को छोड़कर	• लाभांश, जमा, डिबेंचर, या शेयर • लाभांश,7 वर्षों से दावा न किया गया, साथ ही हस्तांतरित किए जाने वालेसंबद्ध शेयर	बीमा दावों के संबंध में अप्रदत्त राशि	• अंशदान ग्राहक के PRAN में जमा नहीं किया गया • यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड जैसे पीओपी में जमा किया गया अंशदान वगैरह
जब परिसंपत्तियां हस्तांतरित की जाती हैं	10 वर्षों तक लगातार निष्क्रिय या दावा न किए गए खाते	10 वर्षों तक लगातार निष्क्रिय या दावा न किए गए खाते	• 7 वर्षों से दावा न किए गए लाभांश का भुगतान	10 वर्ष से अधिक समय तक दावा न की गई हो	• एनपीएस/एनपीएस-लाइट को 7 वर्षों तक धारण करने के बाद और एनपीएस/एनपीएस-लाइट पीओपी द्वारा असंगत योगदान
दावा न की गई संपत्तियों का मुख्य कारण	• लाभार्थी/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा खाता भूल जाना • ग्राहकों का विवरण परिवर्तित/अप्राप्त	• लाभार्थी/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा खाता भूल जाना • ग्राहकों का विवरण परिवर्तित/अप्राप्त	ग्राहक विवरण उपलब्ध नहीं/अद्यतित नहीं	संपर्क न होना/ग्राहक विवरण उपलब्धन होना/परिवर्तित होना	ग्राहक विवरण उपलब्धनहीं है
दावा न की गई संपत्तियों की जाँच कैसे की जासकती है?	• व्यक्तिगत बैंक की वेबसाइट आरबीआई का UDGAM पोर्टल https://udgam.rbi.org.in	• व्यक्तिगत बैंक की वेबसाइट आरबीआई का UDGAM पोर्टल https://udgam.rbi.org.in	IEPF खोज सुविधा www.iepfa.gov.in	• बीमा कंपनियों की वेबसाइटें • IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल https://bimabharosa.irdai.gov.in/	• लाभार्थी को भौतिक फॉर्म के माध्यम से पीएफआरडीए से संपर्क करना होगा (www.pfrda.org.in से डाउनलोड करें)
संपत्ति का दावा कैसे किया जा सकता है	कृपया पुस्तिका में संबंधित अनुभागों की मानक कार्यप्रणाली देखें				

मेरी वित्तीय डायरी

मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) निधि योजना

https://www.rbi.org.in

म्यूचुअल फंड

https://www.sebi.gov.in

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA)

https://www.iepf.gov.in

वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (SCWF) - बीमा

https://www.irdai.gov.in

एनपीएस
एनपीएस लाईट

https://www.pfrda.org.in